16/07/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अन्त पार परीक्षा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कय हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2023/249

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 66/2023 GCMS:-2023/249 दायरा दिनांकः– 04.04.2023

–: अनवान :–

कमलादेवी पत्नी सुरेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 26 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 16.07.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि खातेदार लाधुराम पुत्र नंदराम जाति नाई निवासी गोविन्दसर हाल चक 2 बी.के.एम. बख्तावरपुरा के नाम से ग्राम गोविन्दसर बारानी पटवार हल्का गुडली तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी वर्ष 2015 के खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 36/12 में 6.3250 हैक्टेयर बारानी भूमि बतौर खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। खातेदार लाधुराम को घरूली आवश्यकता व अन्य जगह भूमि व जायदाद खरीदने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अपने नाम व कब्जा काश्त की जैरवाद भूमि का पूरा प्रतिफल नगद रूपयों के रूप में प्राप्त करके जैरवाद भूमि को वादीया कमलादेवी को बेचान करके बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय राजियासर में दिनांक 10.06[illegible] गवाहान तस्दीक करवा दिया था व मौका पर जाकर उसी दिन जैरवाद भूमि का कब्जा वादीया को सौप दिया था तब से आज तक कब्जा काश्त वादीया [illegible] रहा है। वादीया ने जैरवाद भूमि खरीद के बाद कड़ी मेहनत व भारी खर्चा लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया। वादीया ने बैयनामा की चित्रप्रति करवाकर पटवारी हल्का व पंचायत के सरपंच को दी कि वादीया के नाम से खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज किया जाकर जमाबंदी में बतौर खातेदार अंकन किया जावे परन्तु पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 66/2023)

द्वारा आज तक इन्तकाल दर्ज नहीं किया तो वादीया ने तहसीलदार को भी बैयनामा की चित्रप्रति लगाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो तहसीलदार ने कहा कि बैयनामा के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत करके उपखण्ड अधिकारी से डिक्री करवा कर लाये तभी इन्तकाल दर्ज होगा इसलिए वादीया ने अदालत हाजा में यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि बैयनामा के आधार पर जैरवाद भूमि का वादीया को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की डिक्री जारी की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस सूचना देने पर स्टेट की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत होने पर शामिल पत्रावली किया गया। स्टेट की तरफ से वाद पत्र का विरोध नहीं करने पर तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गयी। वादीया द्वारा अपने साक्ष्य करवाये व बैयनामा व वाद पत्र को वादीया द्वारा सत्यापित करवाया गया। वादीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय के अलावा एक गवाह और की भी गवाही करवा कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को सत्यापित किये व बैयनामा के समय से ही कब्जा काश्त जैरवाद भूमि पर वादीया का होने की बात का समर्थन किया हैं। वादीया ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया हैं कि इस अदालत में प्रस्तुत वाद पत्र के अलावा वादीया द्वारा कोई और वाद पत्र किसी अन्य अदालत में प्रस्तुत नहीं किया हुआ हैं।

वादीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता ने वाद पत्र के बिन्दुओ को ही दोहराते हुए बहस की कि मूल खातेदार लाधुराम के नाम से जैरवाद भूमि बतौर खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी उसे अपने नाम की खातेदारी भूमि को बेचान करने का पूरा अधिकार था व वादीया ने जैरवाद भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा के खरीद करने का पूरा पूरा अधिकार था। कब्जा बैयनामा के समय ही वादीया को सौंप दिया था व बेचानकर्ता ने बैयनामा में यह स्पष्ट लिखा हैं कि बैयनामा में अंकित भूमि के सारे अधिकार खरीददार को प्राप्त हो गये हैं व उसको गैर हाजरी में बेचान की गयी भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज खरीददार के नाम से कर दिया जावे तो उसे कोई एतराज नहीं हैं। इसीलिए बेचानकर्ता को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। इसलिए वाद पत्र वादीया के हक में डिक्री किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि भूमि का बैयनामा व जमाबंदी दोनो दस्तावेज रिकार्ड पर [illegible] व स्टेट के हितो को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र निर्णित [illegible] स्टेट [illegible] एतराज नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की बहस पर [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पत्र का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार से किया जाता हैं :–

तनकी न. 1 :– आया कि चक 2 बी.के.एम. के निवासी लाधुराम पुत्र नंदराम नाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 66/2023)

ग्राम गोविन्दसर बारानी भूमि के खसरा नम्बर 36/12 की 6.3250 हैक्टेयर बारानी भूमि का खातेदार काश्तकार था व उसे अपनी खातेदारी भूमि को बेचने का पूरा अधिकार था ।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीया पर था। वादीया ने भूमि बेचानकर्ता के नाम से दर्ज भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत कर यह साबित किया हैं कि लाधुराम को जैरवाद भूमि आवंटित थी व उसके खातेदारी अधिकार उनके नाम जारी होकर जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज होकर भूमि का कब्जा काश्त होने से एक खातेदार काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भूमि हस्तान्तरण अधिनियम के तहत अपनी भूमि को बैय करने का पूरा पूरा अधिकार था व वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी से अपने कथन को वादी ने साबित किये जाने पर इस तनकी का निर्णय बहक वादीया के किया जाता हैं।

तनकी न. 2 :– आया कि वादीया द्वारा जैरवाद 6.3250 हैक्टेयर बारानी भूमि का बैयनामा दिनांक 10.06.2015 को उप–पंजीयक राजियासर से अपने पक्ष में बैयनामा पंजीबद्ध करवाने के बाद व जैरवाद भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेने के बाद अपने को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार हैं।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीया पर होने से वादीया स्वंय का शपथ पत्र व एक स्वतन्त्र गवाह से यह साबित किया हैं कि जैरवाद भूमि वादीया द्वारा खरीद की हुई हैं। असल बैयनामा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत कर उसे सत्यापित करवाया गया हैं व बेचानकर्ता ने बैयनामा में जैरवाद भूमि का कब्जा मौका पर वादीया को दे दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख हैं व बैयनामा के विपरीत या वादीया का कब्जा के विषय में कोई विपरीत साक्ष्य नहीं आने से अपने साक्ष्य व कानूनी प्रावधानो से साबित किया हैं कि जैरवाद भूमि को वादीया द्वारा कानूनी प्रावधानो के साथ खरीद किया हैं व बैयनामा व जैरवाद भूमि का कब्जा काश्त को साबित करने पर बेचान करने वाले के सारे अधिकार भूमि बेचान कर देने पर क्रेता में समाहित हो जाने के कानूनी प्रावधान होने से वादीया जैरवाद भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की हकदार हैं। इस तनकी को भी बहक वादीया निर्णीत की जाती हैं।

तनकी न. 3:– आया कि तनकी न. 1 व 2 का निर्णय वादीया के पक्ष में होने के बाद जैरवाद भूमि का राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) में अपना नाम दर्ज करवाने की हकदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीया पर होने से वादीया के पक्ष में तनकी न. 1 व 2 का निर्णय हो जाने से वादीया अपने नाम से खरीद की गई जैरवाद भूमि को बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) में अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकार प्राप्त होने से इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीया तय किया जाता हैं।

तनकी न. 4 :– अन्य अनुतोष – वाद पत्र व वाद पत्र में कायम तनकीयात पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 66/2023)

में प्रस्तुत जमाबंदी व बैयनामा व गवाहों के साक्ष्यों के विपरीत कोई गवाही न आने व स्टेट जवाब में भी राज्यहित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र वादी डिक्री किया जावे तो स्टेट को एतराज नहीं होने का जवाब आने पर उक्त तनकीयों का निर्णय बहक वादीया किया जाता हैं।

अतः वाद पत्र वादीया स्वीकार किया जाता है तथा जैरवाद भूमि रोही ग्राम गोविन्दसर बारानी पटवार हल्का गुडली भू.अभि.नि.क्षेत्र बख्तावरपुरा के खाता संख्या 6 नया, 10 पुराना के खसरा नम्बर 36/12 की 6.3250 हैक्टेयर बारानी भूमि के बैयनामा दिनांक 10.06.2015 उप–पंजीयक राजियासर से पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर वादीया कमलादेवी पत्नी सुरेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इस खाते में दर्ज लाधुराम पुत्र नंदराम जाति नाई का नाम कलमजन कर वादीया का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

कमलादेवी पत्नी सुरेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 26 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 66 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीया श्री भागीरथ बिश्नोई व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीया स्वीकार किया जाता है तथा जैरवाद भूमि रोही ग्राम गोविन्दसर बारानी पटवार हल्का गुडली भू.अभि.नि.क्षेत्र बख्तावरपुरा के खाता संख्या 6 नया, 10 पुराना के खसरा नम्बर 36/12 की 6.3250 हैक्टेयर बारानी भूमि के बैयनामा दिनांक 10.06.2015 उप–पंजीयक राजियासर से पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर वादीया कमलादेवी पत्नी सुरेश कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। इस खाते में दर्ज लाधुराम पुत्र नंदराम जाति नाई का नाम कलमजन कर वादीया का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.07.2025. को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)